Under jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

कोल इंडिया का एक अंश A Subsidiary of Coal India Ltd.)

" A MINI RATNA COMPANY "

CIN:U10102CT1985GOI003161

कार्यालय महाप्रबंधक कुसमुंडा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

KUSMUNDA AREA

Tel: 07815-271233 (Off.)
Fax: 07815-271250

Regd. Office
SEEPAT ROAD,
POST BOX No: 60
BILASPUR (CG)

पो. कुसमुंडा कालरी
जिला-कोरबा (छ.ग.)
PO: KUSMUNDA COLLY.
DIST: KORBA (CG)

Ref. No. SECL/GM/KA/ENV/22-23/177 Date 03.06.2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, कटघोरा
जिला –कोरबा (छ.ग.)

विषय- **Diversion of Additional 43.942 ha Revenue Forest Land for expansion of Kusmunda Opencast Coal Mine of M/s South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh (Proposal No. FP/CG/MIN/41604/2019 dated 18.10.2019)**

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक/तक.अधि./2021/324 कटघोरा दिनांक 19.1.2022
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 164 दिनांक 08.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला-कोरबा (छ.ग.) वन मण्डल कटघोरा के अंतर्गत एसईसीएल कुसमुण्डा खुली खदान के 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (Proposal No. FP/CG/MIN/41604/2019 dated 18.10.2019) को नवीन चेकलिस्ट 44 बिन्दु के आधार पर पार्ट-1 की सम्पूर्ण जानकारी तैयार कर उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के माध्यम से आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। परंतु उपरोक्त प्रस्ताव को आपके कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा दिनांक 19.01.2022 को वापिस किया गया है।

तत्पश्चात उपरोक्त प्रस्ताव को आपके कार्यालीन अधिकारियों के साथ संयुक्त परीक्षण कर नवीन चेकलिस्ट 44 बिन्दु के आधार पर पुनः तैयार कर आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित किया जा रहा है। उपरोक्त प्रस्ताव में वृक्ष विदोहन विवरण, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं नवीन चेकलिस्ट 44 बिन्दु के आधार पर पार्ट-2 की जानकारी आपके कार्यालय द्वारा दिया जाना है।

विदित हो कि 43.942 हे. राजस्व वन भूमि में वृक्ष विदोहन योजना के लिए आपके कार्यालय को आपके डिमांड नोट क्रमांक 5651 दिनांक 29.09.2021 के उपरांत कुल राशि रू. 2,66,423/- (दो लाख छाछठ हज़ार चार सौ तेईस मात्र) डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 821627 दिनांक 28.03.2022 के माध्यम से आपके पी.डी. खाते में जमा किया जा चुका है।

वर्तमान में कुसमुण्डा खुली खदान के मौजूदा भूखंड में कोयला अधिकतम निकासित किया जा चुका है तथा अगले वर्ष कोयला उत्पादन में गंभीर व्यवधान होने का आसार है। चूंकि कुसमुण्डा क्षेत्र की वर्तमान में 50 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयला उत्पादन की क्षमता है परंतु विस्तारीकरण में आने वाले गाँवो में खनन कार्यों के लिए पर्यावरण स्वीकृति आने वाले गाँवो की वन अधिनियम 1980 के तहत प्रथम चरण स्वीकृति पर निर्भर करती है। आने वाले वर्षों में कुसमुण्डा से कोयला उत्पादन न होने से छत्तीसगढ़ राज्य शासन को लगभग 700 करोड़ की प्रतिवर्ष राजस्व क्षति होने की संभावना है।

Receipt
No.
Date 08.06.2
वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल

O/C

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि 43.942 हे. राजस्व वन भूमि की प्रथम चरण स्वीकृति के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
धन्यवाद।

संलग्न : प्रस्ताव की मूल प्रति (01 प्रति)।

भवदीय

महाप्रबंधक
एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र

प्रतिलिपि-

1. महाप्रबंधक (खनन/ वन), एसईसीएल बिलासपुर - सादर सूचनार्थ हेतु।
2. महाप्रबंधक (खनन), कुसमुण्डा परियोजना।
3. स्टाफ अधिकारी (खनन), कुसमुण्डा क्षेत्र।
4. नोडल अधिकारी (पर्या. /वन), कुसमुण्डा क्षेत्र।